तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अब्दुल गफार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 80 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अब्दुल गफार, पता 60, सकीना कॉलानी, गीता भवन के पीछे, सिवांचीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.03.2019 में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिले समस्त के मुसलमानों के कब्रिस्तान की सूचना स्वनिर्मित प्रारूप में दिलाने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 628 दिनांक 21.05.19 के रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जोधपुर जिले के समस्त मुसलमानों के कब्रिस्तान की सूचना स्वयं के स्तर पर तैयार प्रारूप में चाही गई थी। आवेदन पत्र में चाही गई सूचना से संबंधित प्रार्थी को जरिये पत्रांक 479 दिनांक 15.04.19 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि अभिलेख का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है तथा चाही गई सूचना जिले के समस्त तहसीलदारों से सबंधित है जिसका अंतरण समस्त तहसीलदारों का किया जा नहीं जा सकता है, अन्तरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है अतः उक्त कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण जिले में स्थित कब्रिस्तान भूमि से संबंधित रिकॉर्ड की सूचना चाही गई जो जिला कार्यालय में संधारित नहीं होने एवं एक से अधिक तहसीलों से संबंधित होने के कारण अन्य सभी लोक सूचना अधिकारियों को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया नहीं जा सकता अतः अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो उसे जिले के समस्त तहसील कार्यालय के लोक सूचना अधिकारियों को समक्ष आवेदन कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	